न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 18/2022

बउनवान

देवकिशन आयु 28 वर्ष पुत्र श्री भैरू लाल, जाति नाई, निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला–बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 18.08.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रटावद तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 0.32 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 160/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:17 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट स्वंय भी अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में भी सम्वत् 2078 में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 231/2021 निर्णय दिनांक 29.09.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म–चारागाह ग्राम रटावद पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 231/21 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 से अपीलांट को बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 188/22 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:17 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां